अधिसूचना

प्रिय वितरको और फ्रेंचाइज़ी,

अभिवादन!!!!!

आप हमारे सम्मानित चैनल पार्टनर हैं। आप जानते हैं कि कम्पनी का व्यवसाय भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और नियमों एवं विनियमनों के साथ पढ़े जाने वाले पेमेन्ट एंड सेटलमेन्ट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है और उसके अधीन जारी आरबीआई दिशानिर्देशों, एंटी मनी लॉन्डरिंग (एएमएल) दिशानिर्देशों, कॉम्बैटिंग फायनान्सिंग ऑफ टैररिस्ट (सीएफटी) दिशनिर्देशों, नो यूअर कस्टमर (केवायसी) दिशानिर्देशों को कंपनी के व्यवसाय के लिए लागू किया गया है। इसीलिए व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बताए गए प्रावधानों का पालन करने की जिम्मेदारी कंपनी के साथ साथ उसके चैनल पार्टनरों की भी है। कंपनी यह अधिसूचना कंपनी के साथ साथ उसके चैनल पार्टनरों के हितों की रक्षा के लिए जारी कर रही है ताकि व्यवसाय प्रभावित न हो।

आतंकवाद रोधी दल, साइबर अपराध शाखाओं, अपराध शाखाओं एवं भारत भर की विभिन्न अन्वेषण एजेंसियों द्वारा संचालित की गई छानबीनों के अधीन आने वाले अनेक मामलोंके माध्यम से हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि कई वितरक और फ्रेंचाइज़ी को नकली लॉटरी स्कीमों/घोटालों में प्रतिभाग करने के लिए कहकर धोखेबाजों/असामाजिक तत्वों द्वारा लुभाया जा रहा है।

कुछ समय पहले हमारे सम्मानित वितरकों और आईसीडब्ल्यू को उनके बैंक खाते के विवरण पूछने वाले विभिन्न नंबरों से कॉल प्राप्त हुए हैं जिनके देश का कोड +92

(पाकिस्तान) से शुरू होता है। कई वितरकों ने बैंक के विवरण दे भी दिए हैं और उनके बैंक खातों में विशाल रकम जमा करा दी गई है। उसके बाद कॉलर वितरक को कॉल करता है और कहता है कि उनके खाते में रकम जमा करा दी गई है और जमा कराई गई रकम के सामने वितरक से इट्ज़कैश के खाते नंबर और पासवर्ड पूछता है।

- कुछ मामलों में कोई व्यक्ति किसी अन्जान व्यक्ति (न तो वितरक और न ही आईसीडब्ल्यू) को कॉल करता है और उससे उसके बैंक खाते का नंबर पूछता है कई आम लोगों को अन्जान व्यक्ति के खाते में फंसाता है (वह उन लोगों क बताता है कि उन्होंने लॉटरी जीती है और उनको प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रकम जमा कराने का निवेदन करता है),

- फिर वह अन्जान व्यक्ति को कॉल करता है और उसको सूचित करता है कि उसे वह रकम निकालनी चाहिए और उसे इट्ज़कैश काड्र्स खरीदने के लिए इट्ज़कैश वितरक के पास जाना चाहिए।

- जब काड्र्स खरीदे जाते हैं, तब पाकिस्तान में बैठा व्यक्ति कॉल करता है और अन्जान व्यक्ति को इट्ज़कैश काड्र्स के खाते नंबर और पासवड्र्स बताने के लिए कहता है।

वे भारत के कई शहरों में कई लोगों को धोखा दे चुके हैं और अब यह पुलिस अधिकारियों एवं सीबीआई की नज़र में आ गए हैं और वे छानबीन कर रहे हैं। हमारे इस उद्देश्य के लिए अपने बैंक खातों के विवरण देकर इस तरह के धोखे में भाग लेने की वजह से हमारे कुछ वितरक गिरफ्तार भी किए गए हैं और पुलिस हिरासत में रखे गए हैं। यदि आप में से कोई जान बूझकर या गैर इरादतन तरीके से इस तरह के झूठी लॉटरी स्कीमों/घोटालों में

भाग लेने का शिकार बनता है, तो आप एएमएल/सीएफटी/केवायसी/पीएसएस दिशानिर्देशों, विनियमनों और अधिनियमके अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

एतद्द्वारा आईएफटीएसपीएल आप सबको फोन पर अजनबियों या अन्जान व्यक्तियों को काड्र्स बेचने के बारे में सावधान और चौकस रहने का सुझाव देता है और आपको उन लोगों काड्र्स जारी करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का निवेदन करता है जो रीटेलर या आईसीडब्ल्यू नहीं हैं। साथ ही आपको यह भी सुझाव दिया जाता है कि यदि कोई ग्राहक अधिक रकम वाले काड्र्स की माँग करे, तो आपको उनको काड्र्स जारी करने से पहले उसका आईडी, पते का साक्ष्य और वास्तविक मोबाइल नंबर लेना चाहिए और संभाल कर रखना चाहिए। साथ ही आपको यह भी सुझाव दिया जाता है कि आप फोन पर किसी अजनबी को इट्ज़कैश कार्ड का खाता नंबर और पासवर्ड न बताएँ। आपको इट्ज़कैश कार्ड की पिछली ओर छपे हुए खाता नंबर और पासवर्ड को स्क्रैच नहीं करना चाहिए।

यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो आईएफटीएसपीएल इस तरह के धोखेबाजी वाली स्कीमों/घोटालों से उभरने वाली सभी जिम्मेदारियों से खुद को निर्मुक्त करता है और इस तरह की धोखाधड़ी वाली स्कीम/मों की वजह से होने वाले किसी भी प्रकार के दावे अथवा दंडनीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं है।

इस तरह की धोखाधड़ी वाली स्कीम/मों में पक्ष या शामिल पाए जाने वाले वितरकों और फ्रेंचाइज़ी के खिलाफ आईएफटीएसपीएल उचित कानूनी कार्रवाई करेगा। यदि आईएफटीएसपीएल को वितरकों के धोखाधड़ी वाली किसी क्रिया में शामिल होने की

जानकारी मिलती है तो वह उन वितरकों से प्राप्त सभी राशियों को जब्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

यदि आपको इस तरह की कोई कॉल आती है या आपका सामना इस तरह की किसी घटना से होता है, तो आप उसकी सूचना तुरंत 022-61125757 पर आईएफटीएसपीएल को करें या help@itzcash.com पर हमें ई-मेल करने का निवेदन किया जाता है।

आपको इस तरह की अन्जान/संदेहास्पद कॉल्स से बातचीत न करने या उत्तर न देने और इस तरह की झूठी स्कीमों/घोटालों का शिकार न बनने का सुझाव दिया जाता है।

धन्यवाद

इंटरेक्टिव फायनान्शियल एंड ट्रेडिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से

दिनांक 26/04/2011